न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 306/23 (धारा 76 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2023/331)

धोडया उर्फ जयनारायण पुत्र हरल्या जाति मीना निवासी हाडौती तहसील सपोटरा जिला करौली।

............अपीलान्टस

बनाम

1. ग्राम पंचायत हाडौती जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत हाडौती तहसील सपोटरा जिला करौली।
2. पटवारी हल्का हाडौती तहसील सपोटरा जिला करौली।
3. मोहरबाई पत्नी चिरंजी जाति मीना निवासी मसावता, तहसील सपोटरा जिला करौली।
4. सिल्ली उर्फ श्रीलाल पुत्र नानगा जाति मीना निवासी हाडौती तहसील सपोटरा जिला करौली।

.... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी सपोटरा दिनांक 26.12.2012 वसिलसिले नामान्तरकरण संख्या 1291 दिनांक 05.11.2011

उपस्थितिः–

श्री धीरेन्द्रपाल वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः–27.02.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 उप जिला कलक्टर सपोटरा के निर्णय दिनांक 26.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत हाडौती पंचायत समिति सपोटरा द्वारा मुताबिक रजिस्टर्ड बेचान के क्रेता मौहरबाई रैस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम नमाान्तरकरण 1291 दर्ज कर दिनांक 05.11.2011 को स्वीकार किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत हाडौती पंचायत समिति सपोटरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.11.2011 के खिलाफ अपीलान्ट घोड्या के द्वारा प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट उपखण्डाधिकारी सपोटरा के न्यायालय में पेश की गई। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी सपोटरा द्वारा प्रकरण में बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2012 पारित करते हुये निर्णय दिया कि वकील रैस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान मुताबिक फर्द अपील से निबन्धित दावा की नकल पेश की है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त अपील से संबधित वाद माननीय न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश करौली में विचाराधीन है। अतः दावा निर्णित होने तक अपील की कार्यवाही स्थगित की जाती है। उपखण्डाधिकारी सपोटरा के इस आदेश दिनांक 26.12.2012 के खिलाफ अपीलान्ट के द्वारा द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की

गई। अपीलाधीन आदेश से संबधित मूल पत्रावली तलब की गई। जरिये सम्मन रैस्पोडेन्टस को तलब किया गया। नियत दिनांक को रैस्पोडेन्टस की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया लिहाजा वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2022 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट संख्या 4 सिल्ली उर्फ श्रीलाल पुत्र श्री नानगा जाति मीना की तन्हा खातेदारी काश्तकारी की भूमि खसरा नम्बर 741 रकबा 13 विस्बा, 747 रकबा 1 बीघा 5 विस्बा, 825 रकबा 3 बीघा 5 विस्बा, 828/2 रकबा 1 बीघा 10 विस्बा एवं भूमि खसरा नम्बर 737/1178 रकबा 1 विस्बा गै0मु0 चाह व खसरा नम्बर 739 रकबा 2 विस्बा गै0मु0 चाह में रैस्पो संख्या 4 का 1/2 हिस्सा निहित था। उक्त आराजीयात जो ग्राम हाडौती तहसील सपोटरा में स्थित है को रैस्पोडेन्ट संख्या 4 ने जरिये इकरारनामा दिनांक 20.05.2003 के तहत प्रतिफल राशि तीन लाख रूपये में वर्तमान अपीलान्ट को विकय कर कब्जा व दखल दे दिया था। तब से अपीलान्ट उक्त आराजी पर वहैसियत सदभावी केता काबिज काश्त चला आ रहा है तथा फसल काश्त करता आ रहा है। उक्त आराजी पर रैस्पो0 नं0 3 ने रैस्पो0 संख्या 4 से जरिये पश्चातवर्ती विकय पत्र कय करना बताते हुये दिनांक 02.03.2011 को अपीलान्ट के कब्जे काश्त में मदाखलत एवं दखलंदाजी करने की धमकी दी तब अपीलान्ट द्वारा उपखण्डाधिकारी सपोटरा के समक्ष नियमित राजस्व वाद व संलग्न अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 07.03.2011 को रैस्पोडेन्ट संख्या 3 को रिकार्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया तथा नामान्तरकरण तस्दीक करवाने से भी पाबन्द किया गया। अपीलान्ट द्वारा संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु सिविल न्यायालय के समक्ष वाद पत्र दिनांक 28.03.2011 को उनवानी घोड्या बनाम सिल्ली वगैराह प्रस्तुत किया एवं संलग्न अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 23.04.2011 को रैस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 4 को यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया। उक्त यथास्थिति आदेश लगातार चला आ रहा है अर्थात् राजस्व न्यायालय एवं सिविल न्यायालय द्वारा प्रदत्त अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने की दिनांक तक लगातार प्रभाव में है अर्थात अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त नहीं हुई है। उक्त स्थगन आदेश के बाबजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1291 दिनांक 05.11.2011 को रैस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक में तस्दीक कर दिया गया। इस नामान्तकरण के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा उपखण्डाधिकारी सपोटरा के समक्ष अपील पेश की गई। जिसे अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना ही उपखण्ड अधिकारी सपोटरा द्वारा निर्णय दिनांक 26.12.2012 को उक्त अपील की कार्यवाही स्थगित करने का आदेश इस तरह पारित किया कि " वकील फरीकेन उपस्थित। वकील रैस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान मुताबिक फर्द अपील से निबन्धित दावा की नकल पेश की है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त अपील से संबधित वाद माननीय न्यायालय जिला एवं सैशन

न्यायाधीश करौली में विचाराधीन है। अतः दावा निर्णित होने तक अपील की कार्यवाही स्थगित की जाती है।" अतः उक्त आदेश दिनांक 26.12.2012 विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है, क्योंकि तहत अदालत में किसी भी पक्षकार के द्वारा इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, फिर भी मौका रिकार्ड एवं कानून के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। यदि उपखण्डाधिकारी सपोटरा नामान्तरकरण अपील की कार्यवाही स्थगित करना भी चाहते थे तो उन्हें नामान्तरकरण संख्या 1291 निरस्त कर अपील की कार्यवाही ताफैसला सिविल एवं राजस्व वाद स्थगित करनी चाहिऐ थी क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 1291 सिविल एवं राजस्व वाद के निर्णय तक इन्टेक्ट पेडिंग नहीं रखा जा सकता था एवं यदि वे नामान्तरकरण को इन्टेक्ट रखना चाहते थे तो उन्हें अपने निर्णय में यह स्पष्ट अंकित करना चाहिऐ था कि सिविल अथवा राजस्व वाद में से किस वाद के निर्णय तक उक्त नामान्तरकरण की अपील की कार्यवाही स्थगित रहेगी। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी सपोटरा द्वारा विधिविरूद्ध व अपूर्ण आदेश पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। सिविल न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है अर्थात उक्त वाद में रैस्पो0 संख्या 3 के पक्ष में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 1291 को कोई चुनौती नहीं दी थी। सिविल वाद की कार्यवाही स्वतन्त्र कार्यवाही है, जिसका नामान्तरकरण की अपील पर कोई प्रभाव नहीं पडता है क्योंकि नामान्तकरण संबंधी कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है। यदि सिविल न्यायालय द्वारा कोई आदेश भी प्रदान किया जाता है तो अपीलान्ट के हक में रैस्पो0 संख्या 4 को विवादित भूमि से संबधित बयनामा निष्पादत करने हेतु ही आदेश प्रदान किया जावेगा अर्थात नामान्तरकरण तस्दीक करने अथवा निरस्त करने या नामान्तकरण की अपील की सुनवाई करने का अधिकार राजस्व न्यायालय में ही निहित है। अतः सिविल न्यायालय के निर्णय तक नामान्तरकरण की अपील की कार्यवाही स्थगित किया जाना न्यायोचित नहीं था। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजर अन्दाज कर आदेश अंतर्गत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्तनीय है। वाद ग्रस्त आराजी रैस्पो0 संख्या 4 द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 20.05.2003 को अपीलान्ट को विक्रय कर कब्जा व दखल प्रदान किया जा चुका है एवं अपीलान्ट द्वारा रैस्पो0 संख्या 4 को सम्पूर्ण प्रतिफल राशि भी प्रदान की जा चुकी है। जिससे उक्त इकरारनामें की पार्ट परफोरमेन्स पूर्ण हो चुकी है एवं दिनांक 20.05.2003 को अपीलान्ट कब्जा प्राप्त कर चुका है तब से आज तक लगातार काबिज है। ऐसी स्थिति में बिना कब्जे के रैस्पो0 संख्या 3 के हक में नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता। इस तथ्य को तहत अदालत द्वारा नजरअन्दाज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उपखण्डाधिकारी सपोटरा के समक्ष स्वयं को खातेदार घोषित करने हेतु नियममित राजस्व वाद प्रस्तुत किया है एवं सिविल न्यायालय के समक्ष इकरारनामा दिनांक 20.05.2003 की पालना में अपीलान्ट के नाम रैस्पों0 संख्या 4 से पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया जाकर संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जबकि विद्वान अधीनस्थ

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 6/2011 नामान्तरकरण संख्या 1291 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। अर्थात पश्चातवर्ती विकय पत्र के आधार पर जो नामा0 1291 रैस्पो0 संख्या 3 के हक में तस्दीक किया गया है, उसे निरस्त करवाने हेतु पेश की गई थी। ऐसी स्थिति में वाद पत्रों के निस्तारण से पूर्व यदि रैस्पो0 3 अपीलान्ट को बेदखल कर कब्जा करने में अथवा रहनवय मुन्तकिल करने में सफल हो जाता है तो अजनबी केतागण के पक्ष में और नामान्तरकरण तस्दीक हो जायेगें। जिससे बहुवाद बढेगा। अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिऐ अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। उपखण्डाधिकारी सपोटरा के समक्ष प्रस्तुत नियमित वाद अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र दिनांक 07.02.2011 को रिकार्ड व मौके के यथास्थिति बनाये रखने हेतु रैस्पो0 संख्या 3 को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जा चुका था। सिविल न्यायालय द्वारा भी रैस्पो0 को दिनांक 23.04.2011 को आदेश पारित कर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया, फिर भी रैस्पो0 संख्या 3 लगायत 4 ने मिलीभगत कर दिनांक 05.11.2011 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के बाबजूद ग्राम पंचायत से नामान्तरकरण संख्या 1291 तस्दीक करवा लिया अर्थात स्थगन आदेश के बाबजूद नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया ऐसे नामा0 को कतई बहाल नहीं रखा जा सकता था। उक्त नामान्तकरण राजस्व न्यायालयए वं सिविल न्यायालय के आदेशों की अवमानना कारित करते हुये तस्दीक किया गया था। इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर उपखण्डाधिकारी सपोटरा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। उपखण्डाधिकारी सपोटरा नामान्तरकरण अपील की कार्यवाही स्थगित भी करना चाहते थे तो उन्हें अपीलाधीन नामान्तरकण को इन्टेक्ट पेंडिग नहीं रखना चाहिऐ था अर्थात नामान्तरकण को निरस्त कर राजस्व वाद व सिविल वाद के निर्णय तक अपील संबंधी कार्यवाही को स्थगित किया जा सकता था। इस तरह का सिद्धान्त माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0डी0 1985 पृष्ठ संख्या 170 एवं आरआरडी 1995 पृष्ठ 120 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश काबिले निरस्त है। वादग्रस्त आराजी बाबत पक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालय में एवं राजस्व न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन है जिससे प्रकरण विवादित प्रकरण की संज्ञा में आता है एवं ऐसे विवादित प्रकरण में धारा 135 (2) राज0 भू राजस्व अधि0 के तहत ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण तस्दीक करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था, फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा विवादित नामा0 तस्दीक कर दिया गया जो उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। इस आधार पर भी अपीलाधीन नामान्तरयकरण संख्या 1291 निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि ग्राम पंचायत को अविवादित नामान्तरकरण के प्रकरण में अधिकतम 45 दिवस में ही नामान्तरकरण संबधित कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार है, जबकि प्रस्तत प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1291 दिनांक 07.03.2011 को भरकर प्रस्तुत कर दिया गया जो 45 दिन पूर्ण होने के पश्चात दिनांक 05.11.2011 को ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया। जबकि अविवादित नामान्तरकरण को 45

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

दिवस पश्चात रोकने अथवा तस्दीक करने का ग्राम पंचायत को कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। इतना ही नहीं प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि पक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय के समक्ष नियमित वाद विचाराधीन होकर स्थगन आदेश जारी किये जा चुके थे। जिससे प्रकरण विवादित प्रकरण की संज्ञा में आता है जिससे ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण तस्दीक करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं था फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा इन सभी तथ्यों को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन नामान्तकरण पारित किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किये गये वाद के संबंध में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2013 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल अपील संख्या 284/2013 दायर की गई है। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 01.02.2019 के द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति को तृतीय पक्ष के अधिकार उत्पन्न करने के उद्देश्य से वादग्रस्त सम्पत्ति का किसी तीसरे पक्ष को बेचान/अन्तरण नहीं करने हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.11.2023 को अपील के निस्तारण तक यथावत रखा है अर्थात् वर्तमान मे भी उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन है। इन तथ्यों को अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त नजर अन्दाज किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2012 व नामान्तरकरण संख्या 1291 दिनांक 05.11.2011 को निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के न्यायालय में ग्राम पंचायत हाडौती द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 1291 दिनांक 05.11.2011 के विरूद्ध अपील की थी। जिसमें विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय व राजस्व न्यायालय में वाद विचाराधीन होने व स्थगन होने तथा ग्राम पंचायत को 45 दिन के बाद नामान्तकरण तस्दीक नहीं करने का अधिकार नहीं होने के बाबजूद नियम विरूद्ध नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के कारण नामान्तकरण को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया था। अपील के साथ अपीलाधीन नामान्तकरण व नकल जमाबन्दी की प्रति के साथ–साथ दौराने अपील अन्य दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये थे। विद्वान उपखण्ड अधिकारी सपोटरा ने दिनांक 26.12.2012 को पत्रावली की आदेशिका पर इस आशय का नोट अंकित करते हुए कि "वकील फरीकन उपस्थित। वकील रैस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान मुताबिक फर्द अपील से निंबन्धित दावे की नकल पेश की है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त अपील से संबंधित वाद माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली में विचाराधीन है। उक्त दावा निर्णित होने तक अपील की कार्यवाही स्थगित की जाती है। पत्रावली दिनांक 13.03.2013 को पेश हो।" उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित उपरोक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2012 न तो स्पष्ट है और न ही स्पीकिंग है, क्योंकि अपीलान्ट की ओर से

प्रस्तुत अपील को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया जाना आवश्यक था। जिसका कि उक्त प्रकरण में अभाव है। जहां तक अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2012 में वर्णित यह तथ्य कि विवादित भूमि के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली में वाद विचाराधीन हैं तो इस संबंध में वकील अपीलान्ट की ओर से फार्म नंबर 3 के साथ संलग्न माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर एस.बी.सिविल प्रथम अपील संख्या 284/2013 में दिनांक 01.02.2019 व 22.11.2023 को पारित स्थगन आदेश के अनुसार वादग्रस्त सम्पत्ति में किसी तृतीय पक्ष के अधिकार उत्पन्न करने के उद्देश्य से वादग्रस्त सम्पत्ति का किसी तीसरे पक्ष को बेचान/अन्तरण नहीं करने के निर्देश पारित किये हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय में उल्लेखित इस बिन्दु का कोई महत्व नहीं रह जाता है कि प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली के न्यायालय में लम्बित होने के कारण दावे के निर्णय होने तक दावे की कार्यवाही स्थगित की जाती है। इसके अलावा भी नामान्तकरण संबंधी अपील में अपीलाधीन नामान्तकरण के गुणावगुण पर विचार किया जाना था। इस पर कोई विचार नहीं कर सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने तक अपील की कार्यवाही को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश या अपीलान्ट/रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किये बिना स्थगित किये जाने को उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सपोटरा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त व उचित अवसर देने, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित एस.बी.सिविल प्रथम अपील संख्या 284/2013 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 22.11.2023 व नामान्तकरण के संबंध में भू राजस्व अधिनियम 1956 में वर्णित विभिन्न प्रावधानों के तहत अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील का पुनः परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर